

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 556 सन 2019

अनवान :-

1. राजाराम पुत्र माडुराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।  
वादी

### बनाम

1. माडुराम पुत्र हेमाराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर हनुमानगढ।
2. नोरगलाल 3. अमरसिंह 4. शंकरलाल 5. औमप्रकाश 6. प्रताप पि0 माडुराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. विमला 8. किस्तुरी पुत्रीयान माडुराम जाति नायक साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
9. विकास 10 कमल पि0 ईमरती पत्नी प्रभूदयाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर हाल जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. पिकी उर्फ प्रियका पुत्री ईमरती पतनी प्रभूदयाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिंह कडवासरा अधिवक्ता वादी

परोकार राज

निर्णय दिनांक :- 05/03/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा रोही मौजा ढण्डेला के खाता संख्या 168/158 के खसरा न0 77/4.8690 हैक, खसरा न0 93 की 9.0930 हैक खसरा न0 113 की 0.8340 हैक कुल 14.7960 हैक एवं रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 169/159 के खसरा न0 195/4.3380, 196/5.5640 कुल 9.020 हैक एवं रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 52/47 की कुल 10.8790 हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 7, 8 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 की बहने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की मृतक बहन ईमती के वारिस है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हेमाराम पुत्र बिशनाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हेमाराम पुत्र बिशनाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हेमाराम पुत्र बिशनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 7, 8 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 की बहने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की मृतक बहन ईमती के वारिस है। ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हेमाराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 जो वादी की बहन/बहन ईमरती के वारिस एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री व पुत्री के पुत्र है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/मामा/नाना वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपज्जा शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रोही मौजा ढण्डेला के खाता संख्या 168/158 के खसरा न0 77/4.8690 हैक , खसरा न0 93 की 9.0930 हैक खसरा न0 113 की 0.8340 हैक कुल 14.7960 हैक एवं रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 169/159 के खसरा न0 195/4.3380 , 196/5.5640 कुल 9.020 हैक एवं रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 52/47 की कुल 10.8790 हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 की बहने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की मृतक बहन ईमती के वारिस है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हेमाराम पुत्र बिशनाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हेमाराम पुत्र बिशनाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हेमाराम पुत्र बिशनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 की बहने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की मृतक बहन ईमती के वारिस है। ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उ.हसने उभयपक्षों की बहस सुनी प्रत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्डेला के खाता संख्या 168/158 के खसरा न0 77/4.8690 हैक , खसरा न0 93 की 9.0930 हैक खसरा न0 113 की 0.8340 हैक कुल 14.7960 हैक एवं रोही मौजा ढण्डेला बारानी के

खाता संख्या 169/159 के खसरा न0 195/4.3380 ,196/5.5640 कुल 9.020हैक एवं रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 52/47 की कुल 10.8790हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।


जमाबन्दी सम्बत 2012 एवं मिलान खसरा, भु0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि हेमाराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हेमाराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा हेमाराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 जो वादी की बहने /बहने के वारिस है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,7 ता 11 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्प होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा ढण्डेला के खाता संख्या 168/158 के खसरा न0 77/4.8690हैक , खसरा न0 93 की 9.0930हैक खसरा न0 113 की 0.8340हैक कुल 14.7960हैक एवं रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 169/159 के खसरा न0 195/4.3380 ,196/5.5640 कुल 9.9020हैक एवं रोही मौजा 1 बी बारानी के खाता संख्या 52/47 की कुल 10.8790हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 सातो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 5/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

  
उपमहानिवासी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. राजाराम पुत्र माडुराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।  
वादी

बनाम

1. माडुराम पुत्र हेमाराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर हनुमानगढ।
2. नोरगलाल 3. अमरसिंह 4. शंकरलाल 5. औमप्रकाश 6. प्रताप पि० माडूराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. विमला 8. किस्तुरी पुत्रीयान माडुराम जाति नायक साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
9. विकास 10. कमल पि० ईमरती पत्नी प्रभूदयाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर हाल जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. पिकी उर्फ प्रियका पुत्री ईमरती पत्नी प्रभूदयाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 556 सन 2019 निर्णय दिनांक- 05/03/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्डेला के खाता संख्या 168/158 के खसरा न० 77/4.8690 हैक, खसरा न० 93 की 9.0930 हैक खसरा न० 113 की 0.8340 हैक कुल 14.7960 हैक एवं रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 169/159 के खसरा न० 195/4.3380, 196/5.5640 कुल 9.9020 हैक एवं रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 52/47 की कुल 10.8790 हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 सातो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )